

4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

Signed by दुर्गा शक्ति
आज्ञा से,

नागपाल (दुर्गा शक्ति नागपाल)

विशेष सचिव।

Date: 26-09-2022 13:08:11

Reason: Approved

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या-एम0ई0-3 / 2022 / 2219

लखनऊ: दिनांक 27 2021

- उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि उक्त शासनादेश अपने-2 कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
 2. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट upneet.gov.in पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
 3. डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से कि शासनादेश विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा।

I/217921/2022

प्रेषक,

दुर्गा शक्ति नागपाल,

विशेष सचिव

उ 0 प्र 00 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ 0 प्र 0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2022

विषय:- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक तथा परास्नातक (यू0 जी0/पी0 जी0) पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम 0 ई 0-3/2022/1920, दिनांक 10.08.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक तथा परास्नातक (यू0 जी0/पी0 जी0) पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुल्क निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक तथा परास्नातक (यू0 जी0/पी0 जी0) पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शुल्क ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु यथावत लागू किया जाय।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय।,

(दुर्गा शक्ति नागपाल)

विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्विनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ 0 प्र 0 शासन।

I/217921/2022

4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बौसमण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

Signed by दुर्गा शक्ति

आज्ञा से,

नागपाल (दुर्गा शक्ति नागपाल)

विशेष सचिव।

Date: 26-09-2022 13:08:11

Reason: Approved